संविधान
CONSTITUTION

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110 016
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

(हिन्दी रूपांतर)

सोसायटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

1860 के अधिनियम XXI

1965-66 की सं. एस/2942

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21 की धारा 12 तथा 12 ए के अनुसरण में सोसायटी का नाम केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से बदलकर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान हो गया है।

इसे 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

इसे नई दिल्ली में

आज *जुलाई एक हजार नौ सौ पिचहत्तर* के *चौथे* दिवस को पंजीकरण शुल्क के रूप में 1/- रु. का भुगतान किया गया।

ह./-

सोसायटी पंजीयक

दिल्ली प्रशासन

नई दिल्ली

नोट : पाठ की विवेचना में कोई अस्पष्टता जाहिर होने पर अंग्रेजी पाठ को सही समझा जाएगा।

Note : In the matter of any ambiguity in interpretation arising in the text, the English version would be deemed as authentic.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES : ACT. XXI of 1860.

No. S/—2942— of 19—65-66—

I hereby certify that—In pursuance of Section 12 and 12A of S.R. Act XXI of 1860 the name of Society has been changed from Central Institute of Research and Training in Public Cooperation to National Institute of Public Cooperation and Child Development.

has this day been registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at New Delhi

this——Fourth——day of——July——

One thousand, nine hundred and——Seventy Five——

Registration Fee of Rs. 1/- paid.

REGISTRAR OF SOCIETIES:
DELHI ADMINISTRATION
NEW DELHI

संविधान
CONSTITUTION

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110 016
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

अनुक्रम

संगम - ज्ञापन	1
उद्देश्य	1
कार्यकारी परिषद्	6
संगम - ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्त्ता	7
परिभाषाएं	10
संस्थान के प्राधिकरण	11
साधारण निकाय	11
साधारण निकाय, कार्यकारी परिषद् की बैठक	13
- गठन	14
- शक्तियां एवं कृत्य	16
संस्थान की निधि, लेखा और संपरीक्षा	18
गणपूर्ति (कोरम)	19
फीस और चन्दा	21
सदस्यों की नामावली	21
परिचालन द्वारा संकल्प पारित किया जाना	21
सामान्य	22
आय और सम्पत्ति	22
संविधान का संशोधन	23
समापन	23

Contents

Memorandum of Association	1
Objects	1
Executive Council	6
Signatories to the Memorandum of Association	7
Definitions	10
Authorities of the Institute	11
General Body	11
Meeting of the General Body	13
Executive Council	
— Composition	14
— Powers and Functions	16
Funds of the Institute, Accounts and Audit	18
Quorum	19
Fees and Subscriptions	21
Roll of Members	21
Resolution by Circulation	21
General	22
Income and Property	22
Amendment of the Constitution	23
Winding Up	23

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत, 1965-66 का सं० एस-2942, मार्च 1999 तक पुनरीक्षित)

संगम-ज्ञापन और नियम तथा विनियम

संगम-ज्ञापन

1. **नाम**

1.1 सोसाइटी का नाम हिन्दी में ''राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान'' और अंग्रेजी में ''नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट'' है।

1.2 सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित होगा।

2. **उद्देश्य**

2.1 संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) समाज-विकास में स्वैच्छिक कार्य का विकास और उसे बढ़ावा देना;

(ii) बाल-विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना और बालकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों का विकास करना और बढ़ावा देना;

(iii) समाज-विकास के लिए सरकारी और स्वैच्छिक कार्य में समन्वय करने के उपायों का विकास करना;

(iv) सरकारी और स्वैच्छिक प्रयत्नों से बच्चों के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए रूपरेखा तैयार करना और परिप्रेक्ष्य विकसित करना।

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT

(Regd. under Societies Registration Act XXI of 1860 No. S-2942 of 1965-66 as revised upto March, 1999)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES AND REGULATIONS

Memorandum of Association

1. **Name**

1.1 The name of the Society is "THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT."

1.2 The registered office of the Society shall be situated in the Union Territory of Delhi.

2. **Objects**

2.1 The objects of the Institute are:

(i) to develop and promote voluntary action in social development;

(ii) to take a comprehensive view of child development and to develop and promote programmes in pursuance of the National Policy for Children;

(iii) to develop measures for coordination of governmental and voluntary action in social development; and

(iv) to evolve framework and perspective for organising children's programmes through governmental and voluntary efforts.

2.2 संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा।

(i) स्वैच्छिक कार्य और बाल-विकास के अनुसंधान तथा मूल्यांकन - अध्ययन का संचालन करना, उसे बढ़ावा देना, प्रायोजित करना और सहयोग देना;

(ii) बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए कार्यक्रमों का समीक्षा करना;

(iii) समाज-विकास में स्वैच्छिक कार्य की समीक्षा करना;

(iv) समाज-विकास और बाल-विकास के क्षेत्र में समस्याओं और आवश्यकताओं का पता लगाना और उनकी पूर्ति के लिए उपायों का सुझाव देना;

(v) समाज-कार्य, बाल-विकास और सहबद्ध क्रिया कलापों में लगे हुए सरकारी कार्मिकों (जिनके अन्तर्गत उच्चस्तर का सरकारी कर्मचारी वर्ग भी हैं) तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन आयोजित तथा प्रायोजित करना;

(vi) बाल-विकास और स्वैच्छिक कार्य से सम्बन्धित जानकारी के वितरण केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना और इस प्रयोजन के लिए प्रलेखन सेवाएं प्रदान करने, जानकारी संग्रह करने, अनुसंधान-अध्ययन की तालिकाएं तैयार करना, संगठनों और प्रकाशनों की निर्देशिकाएं तैयार करने का आयोजन करना;

(vii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों तथा अनेक अन्य संस्थाओं को बाल-विकास और स्वैच्छिक कार्य की नीतियों को अधिक विकसित तथा क्रियान्वित करने में सलाह देना;

2.2 For the realisation of its objectives the Institute will undertake:

(i) to conduct, promote, sponsor and collaborate in research and evaluation studies in voluntary action and in child development;

(ii) to review programmes for children in the light of the National Policy for children;

(iii) to review voluntary action in social development;

(iv) to identify problems and needs in the area of voluntary action and child development and suggest approaches to meet them;

(v) to organise and sponsor training programmes/orientation courses and workshops/seminars/conferences for personnel in government service (including higher level Government Staff) and voluntary sector engaged in social action, child development and allied activities;

(vi) to serve as a clearing house for information pertaining to child development and voluntary action and to organise for the purpose, services for documentation, storage of information, preparation of inventories of research studies, preparation of directories of organisations and publications;

(vii) to advise the Central and State Governments and its agencies, and various other institutions, in the further development and implementation of policies for child development and voluntary action;

(viii) सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों को बाल-विकास और स्वैच्छिक कार्य के कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने में तकनीकी सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना;

(ix) बाल-विकास और स्वैच्छिक कार्य से सम्बन्धित अध्ययनों तथा क्रियाकलापों में लगी हुई अनुसंधान-संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों से सम्पर्क स्थापित करना तथा सहयोग की व्यवस्था करना;

(x) ऐसे अन्य सभी विधिपूर्ण कार्य करना जो उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक या आनुषंगिक हों; और

(xi) (क) सोसाइटी की निधि और धन का निवेश करना और उससे सम्बन्धित कार्य करना;

(ख) उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में धन और निधि के लिए अपीलें जारी करना और आवेदन करना तथा दान, संदान, चंदा या अन्य रूप में नकद और प्रतिभूतियां, तथा जंगम या स्थावर किसी सम्पत्ति से निधि जुटाना या एकत्र करना और दानकर्ताओं, चन्दा देने वाले व्यक्तियों तथा अन्य हितकारियों को ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना जो सोसाइटी समुचित समझे;

(ग) सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक या सुविधाजनक कोई जंगम या स्थावर सम्पति दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में या उसके बाहर अस्थायी या स्थायी रूप से अर्जित करना, क्रय करना या अन्यथा उसका स्वामी होना या उसे पट्टे पर लेना या किराए पर देना या क्रय करना;

(viii) to provide technical service facilities to governmental and voluntary organisations in the formulation and implementation of programmes of child development and voluntary action;

(ix) to establish liaison with research institutions, universities and other bodies engaged in studies and activities which relate to the development of the child and voluntary action, and undertake collaborative arrangements;

(x) to do all such other lawful deeds as are conducive or incidental to the attainment of the above objects; and

(xi) (a) to invest and deal with funds and moneys of the Society;

(b) to issue appeals and applications for money and funds in furtherance of the said objects and to raise or collect funds by gifts, donations, subscriptions or otherwise of cash and securities, and any property either movable or immovable and to grant such rights and privileges to the donors, subscribers and other benefactors, as the Society may consider proper;

(c) to acquire, purchase or otherwise own or take on lease or hire in the Union Territory of Delhi or outside, temporarily or permanently, buy any movable or immovable property necessary or convenient for the furtherance of the objects of the Society;

(घ) सोसाइटी की सभी या किसी चल या अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना अथवा उसके बंधक की प्रतिभूति पर या उस पर भार के रूप में या उसकी आड़मान पर, प्रतिभूति पर या उसको गिरवी रखकर या चाहे किसी भी अन्य रीति से धन उधार लेना और जुटाना, परन्तु तब जब कि इस निमित्त केन्द्रीय सरकार का लिखित रूप में पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;

(ङ) सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सोसाइटी की सभी या किसी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय करना, उसे समुदेशित करना, बन्धक रखना, पट्टे पर देना, उसका विनिमय करना और अन्यथा अन्तरण या व्ययन करना परन्तु तब जब कि स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;

(च) सोसाइटी किसी सरकार या प्राधिकरण से, जो नगरपालिका, स्थानीय या अन्यथा हो, जिन अधिकारों, विशेषाधिकारों, रियायतों को, चाहे वे वैश्वासिक या अन्यथा हों, प्राप्त करना वांछनीय समझे, उन्हें प्राप्त करने के लिए उसके साथ करार करना और ऐसे ठहरावों और अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा रियायतों को पूरा करना, उनका प्रयोग और पालन करना;

(छ) चैकों, हुण्डियों, ड्राफ्टों, प्रमाणपत्रों, रसीदों, सरकारी प्रतिभूतियों, प्रामिसरी नोटों, विनिमयपत्रों या अन्य लिखतों और प्रतिभूतियों को, चाहे वे परक्राम्य या अन्तरणीय हो, लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, बट्टा देना, निष्पादित करना, हस्ताक्षरित करना, जारी करना और अन्यथा संव्यवहार करना;

(d) to borrow and raise money with or without security or on the security of a mortgage, charge or on the security hypothecation or pledge of all or any of the movable or immovable properties belonging to the Society or in any other manner whatsoever, provided that prior approval in writing of the Central Government is obtained in that behalf;

(e) to sell, assign, mortgage, lease, exchange and otherwise transfer or dispose of all or any property, movable or immovable, of the Society for the furtherance of the objects of the Society provided prior approval of the Central Government is obtained for the transfer of the immovable property;

(f) to enter into any agreement with any government or authority, municipal, local or otherwise to obtain from such government or authority any rights, privileges, concessions, fiduciary or otherwise that the Society may deem desirable to obtain and carry out, exercise and comply with such arrangements and rights, privileges and concessions;

(g) to draw, make, accept, endorse, discount, execute, sign, issue and otherwise deal with cheques, hundies, drafts, certificates, receipts, Government securities, promissory notes, bills of exchange or other instruments and securities whether negotiable or transferable or not;

(ज) सोसाइटी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक कोई भवन या संकर्म बनाना, उसका सन्निर्माण या अनुरक्षण करना उसकी मरम्मत, उसमें परिवर्तन, उसकी अभिवृद्धि या उसका विकास करना या उसे सुसज्जित करना;

(झ) सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी विन्यास या न्यास निधि या संदान का प्रबंध अपने हाथ में लेना और उसे स्वीकार करना;

(ञ) सोसाइटी के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों को अस्थायी या स्थायी रूप में नियुक्त या नियोजित करना और सोसाइटी के लिए की गई सेवाओं के बदले में उन्हें या अन्य व्यक्तियों को वेतन, मजदूरी, मानदेय, फीस, उपदान, भविष्य निधि और पेंशन देना;

(ट) जन सहयोग और बाल-विकास के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों को सक्रिय बनने की प्रेरणा देना और आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक लेकर या नि:शुल्क तकनीकी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना;

(ठ) सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए भविष्य-निधि की स्थापना और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ड) सोसाइटी की बढ़ोत्तरी के लिए इनाम, पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां और वृत्तिकाएं स्थापित करना, पेशकश करना या प्रदान करना;

(ढ) नियम और उपविधियां बनाना और उन्हें प्रवृत्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर उनका निरसन, संशोधन तथा परिवर्तन करना; और

(ण) सोसाइटी की अभिवृद्धि करने, उसे बनाने, उसकी स्थापना और उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी लागत, प्रभार और व्यय का संदाय करना।

(h) to build, construct; maintain, repair, alter, improve or develop or furnish any buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Society;

(i) to undertake and accept management of any endowment or trust fund or donation to further the objects of the Society;

(j) to appoint, or employ temporarily or permanently, any person or persons that may be required for purposes of the Society and to pay them or other persons in return for services rendered to the Society; salaries, wages, honoraria, fees, gratuities, provident fund and pensions;

(k) to mobilise available expertise in the field of public cooperation and child development and to offer technical and consultancy services with or without payment of remuneration as necessary;

(l) to establish a provident fund and other benefits for its employees of the Society;

(m) to institute, offer, or grant prizes, awards, scholarships/ fellowships and stipends in furtherance of the Society;

(n) to make and enforce rules and bye-laws and, if necessary, to repeal, amend and alter the same from time to time; and

(o) to pay all costs, charges, and expenses incurred in the promotion, formation, establishment and registration of the Society.

3. **कार्यकारी परिषद्**

3.1 सोसाइटी के नियमों के अनुसार जब तक कार्यकारी परिषद् नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाती तब तक सोसाइटी के कार्यों का प्रबन्ध, कार्यकारी परिषद् के जिन वर्तमान सदस्यों को, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, 1860 का 21 (पंजाब संशोधन 1957) की धारा 2 के अधीन अपेक्षित रूप में सौंपा गया है उनके नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम इस प्रकार हैं:-

नाम	व्यवसाय और पता	कार्यकारी परिषद् में पद
1	2	3
श्री जी. एल. नन्दा	गृह मंत्री और सदस्य (जन सहयोग) योजना आयोग, नई दिल्ली	सभापति
श्री अशोक मेहता	योजना मंत्री और उपाध्यक्ष योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
श्री कृष्ण प्रसाद	सचिव, राष्ट्रीय जन सहयोग परामर्श समिति योजना आयोग	सदस्य
श्री के.ए.पी. स्टीवेंशन	संयुक्त सचिव योजना आयोग	सदस्य
श्री एच.के.डी. टण्डन	निदेशक (जन सहयोग) योजना आयोग	सदस्य
श्री आर. सुब्रह्मण्यम्	वित्त अधिकारी (जन सहयोग) योजना आयोग	सदस्य

3. **Executive Council**

3.1 The names, addresses, occupations and designations of the present members of the Executives Council, to whom the management of the affairs of the Society is entrusted as required under Section II of the Societies Registration Act XXI of 1860 (Punjab Amendment 1957) as extended to the Union Territory of Delhi till the Executive Council is nominated according to the rules of Society are as follows:

Name	*Occupation and address*	*Office in the Executive Council*
1	2	3
Shri G.L.Nanda	Home Minister and Member (Pub. Coop.), Planning Commission, New Delhi	President
Shri Asoka Mehta	Minister for Planning and Deputy Chairman, Planning Commission, New Delhi	Member
Shri Krishna Prasada	Secretary, N.A.C.P.C. Planning Commission	Member
Shri K.A.P. Stevenson	Joint Secretary, Planning Commission	Member
Shri H.K.D. Tandon	Director Public Coop., Planning Commission	Member
Shri R. Subramanian	Finance Office, Pub. Coop., Planning Commission	Member

1	2	3
मेजर टी. रामचन्द्रा	महासचिव, भारत सेवक समाज, नई दिल्ली	सदस्य
श्री जान बारनाबास	निदेशक, जनसहयोग, योजना आयोग	सदस्य-सचिव

4. संगम-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर्त्ता

4.1 हम सब, अर्थात् वे व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, संगम-ज्ञापन में वर्णित प्रयोजनों से अपने को सहबद्ध करते हुए इसके द्वारा ज्ञापन पर अपने नाम हस्ताक्षरित करते हैं और यहां अलग-अलग अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं तथा जनवरी 1966 के दूसरे दिन नई दिल्ली में 1860 के अधिनियम 21 के अधीन अपने को एक सोसाइटी के रूप में गठित कर रहे हैं:-

नाम	व्यवसाय और पता	हस्ताक्षर
1	2	3
श्री जी. एल. नन्दा	गृह मंत्री और सदस्य (जन सहयोग) योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री अशोक मेहता	योजना मंत्री और उपाध्यक्ष योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
प्रो. एम. एस. ठक्कर	सदस्य योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0

1	2	3
Major T. Ramachandra	General Secretary Bharat Sevak Samaj, New Delhi	Member
Shri John Barnabas	Director, Public Coop., Planning Commission	Member-Secretary

4. Signatories to the Memorandum of Association

4.1 We, the several persons whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purposes described in the Memorandum of Association, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands hereunto and form ourselves into a Society under Act XXI of 1860, this second day of January, 1966 at New Delhi.

Name	*Occupation and Addresses*	*Signature*
1	2	3
Shri G.L.Nanda	Home Minister and Member (Pub. Coop.) Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri Asoka Mehta	Minister for Planning, and Deputy Chairman, Planning Commission, New Delhi.	Sd/-
Prof. M.S. Thacker	Member, Planning Commission, New Delhi.	Sd/-

1	2	3
डा. वी.के.आर.वी. राव	सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री एस.जी. बर्वे	सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री श्रीमन नारायण	नेपाल में भारत के राजदूत, काठमाडू	ह0
श्री टी.पी. सिंह	सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	ह0
श्री जी.आर. कामत	सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री ए.एन. झा	सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	ह0
श्री ए. मित्रा	अपर सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री के.ए.पी. स्टीवेंसन	संयुक्त सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्रीमती डी. देशमुख	41, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली	ह0
श्री कृष्ण प्रसाद	सचिव, राष्ट्रीय जन-सहयोग परामर्श समिति, योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
मेजर टी. रामचन्द्रा	महासचिव, भारत सेवक समाज, नई दिल्ली	ह0
श्री एल.एम. श्रीकान्त	सचिव, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	ह0

1	2	3
Dr. V.K.R.V. Rao	Member, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri S.G. Barve	Member, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri Shriman Narain	Ambassador for India in Nepal, Kathmandu	Sd/-
Shri T.P. Singh	Secretary, Ministry of Finance, New Delhi	Sd/-
Shri G.R.Kamat	Secretary, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri A.N. Jha	Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi	Sd/- Sd/-
Shri A. Mitra	Additional Secretary, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri K.A.P. Stevenson	Joint Secretary, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Smt. D. Deshmukh	41, Lodi Estate, New Delhi	Sd/-
Shri Krishna Prasada	Secretary, National Advisory Committee on Public Cooperation, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Major T. Ramachandra	General Secretary, Bharat Sevak Samaj, New Delhi	Sd/-
Shri L.M. Shrikant	Secretary, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, New Delhi	Sd/-

1	2	3
श्रीमती अचम्मा जे. मथाई	अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	ह0
डा. जे.एन. खोसला	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	ह0
श्री एच.के.डी. टंडन	निदेशक, जनसहयोग योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री आर. सुब्रह्मण्यम्	वित्त अधिकारी, (जनसहयोग) योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
श्री जान बारनाबास	निदेशक, (जनसहयोग) योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0
डा. एस.के. चतुर्वेदी	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी योजना आयोग, नई दिल्ली	ह0

1	2	3
Smt. Achamma J. Mathai	Chairman, Central Social Welfare Board, New Delhi	Sd/-
Dr. J.N. Khosla	Director, Indian Institute of Public Administration, New Delhi	Sd/-
Shri H.K.D. Tandon	Director, Public Cooperation, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri R. Subramanian	Finance Officer, Public Cooperation, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Shri John Barnabas	Director, Public Cooperation, Planning Commission, New Delhi	Sd/-
Dr. S.K. Chaturvedi	Senior Research Officer Planning Commission New Delhi	Sd/-

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के नियम और विनियम
(31 मार्च 2009 तक यथा पुनरीक्षित)

1. **परिभाषाएं**

1.1 इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :

(क) "संस्थान" से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान अभिप्रेत है।

(ख) "सभापति" से साधारण निकाय का सभापति और कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "उपसभापति" से साधारण निकाय का उपसभापति अभिप्रेत है।

(घ) "साधारण निकाय" से संस्थान का साधारण निकाय अभिप्रेत है।

(ड) "कार्यकारी परिषद्" से संस्थान की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है।

(च) "अध्यक्ष" से कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(छ) "उपाध्यक्ष" से कार्यकारी परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ज) "संस्था सदस्य" से इन नियमों के अधीन सोसायटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया स्वैच्छिक संगठन, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान निकाय, प्रशिक्षण संस्थान, या कोई अन्य गैर-सरकारी संगठन अभिप्रेत है।

(झ) "ज्ञापन" से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का रजिस्ट्रीकृत संगम-ज्ञापन और नियम तथा सोसाइटी द्वारा समय-समय पर उनका यथासंशोधित रूप अभिप्रेत है।

RULES AND REGULATIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT
(As revised upto 31st March 2009)

1. **Definitions**

1.1 In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context:

(a) The 'Institute' means NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT.

(b) The 'President' means the President of the General Body and the Chairman of the Executive Council.

(c) The 'Vice-President' means the Vice-President of the General Body.

(d) The 'General Body' means the General Body of the Institute.

(e) The 'Executive Council' means the Executive Council of the Institute.

(f) The 'Chairman' means the Chairman of the Executive Council.

(g) The 'Vice-Chairman' means the Vice-Chairman of the Executive Council.

(h) 'Institutional Member' means a Voluntary Organisation, Educational Institute, Research Body, Training Institute, or any other non-official organisation admitted to the Institute as a Member of the Society under these rules.

(i) 'Memorandum' means the Registered Memorandum of Association and Rules of the National Institute of Public Cooperation and Child Development and as may be amended from time to time by the Society.

(ञ) ''नियम'' से रजिस्ट्रीकृत संगम-ज्ञापन के वे अंश और नियम अभिप्रेत हैं जिनको नियम कहा गया है जो सोसाइटी द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।

(ट) ''सोसाइटी'' से वह सोसाइटी अभिप्रेत है जिसने इस संस्थान का गठन किया है।

(ठ) ''पदाधिकारी'' से सभापति या अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो सभापति या अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किए जाएं।

(ड) ''सरकार'' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ढ) ''वर्ष'' से केन्द्रीय सरकार का वित्त-वर्ष अभिप्रेत है।

2. संस्थान के प्राधिकरण

2.1 संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:

2.2 साधारण निकाय

2.3 कार्यकारी परिषद्

2.4 ऐसे अन्य प्राधिकरण जो साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

3. साधारण निकाय

3.1 साधारण निकाय का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा:

*(क) संस्थान जिस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है उस मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) - सभापति अथवा केन्द्रीय मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री या उपमंत्री को सभापति के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

* साधारण निकाय की 7वीं जून 1990 को संपन्न विशेष आम बैठक में संशोधित।

(j) 'Rules' means those sections of the Registered Memorandum of Association and Rules as are termed as 'Rules' and which may be amended from time to time by the Society.

(k) 'Society' means the Society forming the Institute.

(l) 'Office Bearers' means the President or Chairman, Vice-President, Vice-Chairman, Member-Secretary or any others who may be designated by the President or the Chairman.

(m) 'Government' means the Central Government.

(n) 'Year' means the financial year of the Central Government.

2. Authorities of the Institute

2.1 The following shall be the authorities of the Institute.

2.2 General Body

2.3 Executive Council

2.4 Such other authorities as may be prescribed from time to time by the General Body or the Executive Council.

3. General Body

3.1 The composition of the General Body shall be:

*(a) Cabinet Minister or Minister of State (Independent Charge) of the Ministry under the administrative control of which the Institute is placed shall be the President unless the Cabinet Minister or Minister of State (Independent Charge) authorises Minister of State or Deputy Minister concerned to be the President.

* Amended in Special Meeting of General Body held on 7th June 1990.

(ख) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उपसभापति, (पदेन)

(ग) साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित दो उपसभापति

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार

(ङ) भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों में से प्रत्येक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-एक व्यक्ति:

(1) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(2) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता-कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(4) ग्रामीण विकास विभाग

*(5) शहरी विकास मंत्रालय

(6) योजना आयोग

(7) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(9) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(च) प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का (महिला एवं बाल विकास से सम्बद्ध विभाग का) एक-एक प्रतिनिधि

(छ) संस्था सदस्यों में प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि

(ज) भारतीय समाज - विज्ञान अनुसंधान परिषद् (इंडियन कौंसिल फॉर सोशल साइन्स रिसर्च) तथा समाज कार्य विद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क) का एक-एक प्रतिनिधि

* साधारण निकाय की 24.3.2009 को संपन्न 40वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित संशोधन।

(b) Secretary, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India, Vice President, (Ex-officio).

(c) Two Vice-Presidents elected by the General Body.

(d) Financial Adviser to the Ministry of Women and Child Development, Govt. of India.

(e) One Nominee from each of the following Departments/ Ministries of the Government of India:

(i) Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development

(ii) Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

(iii) Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare

(iv) Department of Rural Development

*(v) Ministry of Urban Development

(vi) Planning Commission

(vii) Ministry of Women and Child Development

(viii) Ministry of Information and Broadcasting

(ix) Ministry of Social Justice and Empowerment

(f) One representative from each of the State Governments and Union Territories (in the Department dealing with Women & Child Development)

(g) One representative from each of the Institutional Members.

(h) One representative from each of the Indian Council for Social Science Research and the Association of Schools of Social Work.

* Amendment approved in 40th Annual General Meeting of General Body held on 24.3.2009

(झ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि

(ञ) इस संस्थान की कार्यात्मक रूचि से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थाओं, समाज-शास्त्रिओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट नौ प्रतिनिधि

(ट) संस्थान के संकाय के दो सदस्य (निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट), और

(ठ) संस्थान का निदेशक-सदस्य-सचिव।

3.2 साधारण निकाय को ऐसे अन्य संगठनों या संस्थाओं के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों और व्यक्तियों को, जिनका सहयोग लेना वह वांछनीय समझे, उतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे, समय-समय पर सहयोजित करने की शक्ति होगी।

3.3 सभी निगमित और व्यष्टिक सदस्य, जो 3.1.1975 को सदस्य हैं और इन प्रवर्गों की सदस्यता वाले हैं, तब तक सदस्य बने रह सकते हैं जब तक कि उनकी चालू सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती।

4. पदावधि

4.1 सभापति को छोड़कर साधारण निकाय के सदस्यों और पदाधिकारियों की पदावधि दो वर्ष अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारी पुन: निर्वाचित या पुन: नामनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं, इनमें जो भी पहले हो, तब तक के लिए होगी, और वे पुन: निर्वाचित या पुन: नामनिर्दिष्ट किए जाने के पात्र होंगे।

5. साधारण निकाय के अधिवेशन

5.1 सभापति साधारण निकाय का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में उनकी तारीख, समय, स्थान और कार्यसूची की कम से कम 21 दिन पहले लिखित सूचना देकर बुलाएगा और ऐसे अधिवेशन में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

(i) One representative of the Central Social Welfare Board.

(j) Nine representatives nominated by the President from Research Institutes in the area of operational interest of this Institute, Social Scientists and Social Workers.

(k) Two members of the Faculty of the Institute (nominated by the Director), and

(l) Director of the Institute – Member-Secretary.

3.2 The General Body will have the power to co-opt from time to time for such period as they deem fit, representative or representatives of such other organisations or institutions and individuals as they deem desirable in the interest of the Institute.

3.3 All corporate and individual members who happen to be members as on 3-1-1975 and of these categories of membership, may continue as members of the General Body until their current membership expire.

4. Term of Office

4.1 The tenure of office of the Members and office bearers of the General Body except that of the President shall be two years or until their successors are re-elected or re-nominated, whichever is later, and they shall be eligible for re-election or re-nomination.

5. Meetings of the General Body

5.1 The annual General Meeting of the General Body shall be called by the President every year after giving at least 21 day's written notice of the date and time and place and agenda and at such meeting it shall transact the following business;

(क) वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;

(ख) पिछले वर्ष के तुलन-पत्र और परीक्षित लेखाओं पर विचार;

(ग) सोसाइटी के संविधान द्वारा अपेक्षित कार्यकारी परिषद् के अधिकारियों या व्यक्तियों या सदस्यों का निर्वाचन;

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्थापनाओं की प्राप्ति और उन पर विचार।

5.2 सभापति जब कभी साधारण निकाय का विशेष अधिवेशन बुलाना आवश्यक समझे तब ऐसा करने की कम से कम 14 दिन की सूचना देकर और अधिवेशन का प्रयोजन बताते हुए विशेष अधिवेशन बुला सकता है।

5.3 सभापति द्वारा बुलाए गए साधारण निकाय के ऐसे अधिवेशनों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जो अधिवेशन की सूचना में बताए गए कार्य से भिन्न हो।

6. कार्यकारी परिषद्

6.1 कार्यकारी परिषद् का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा:

(क)	साधारण निकाय का सभापति - अध्यक्ष	1
(ख)	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपाध्यक्ष, (पदेन)	1
(ग)	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उपाध्यक्ष	1

(a) consideration of the Annual Report;

(b) consideration of the Balance Sheet and the Audited Accounts for the previous year;

(c) election of such officers or persons or members of the Executive Council as is required by the constitution of the Society; and

(d) receipt and consideration of budget proposals for the following year.

5.2 The President may convene a special meeting of the General Body whenever he thinks it necessary to do so giving not less than 14 days' notice and indicating the purpose of the meeting.

5.3 At such Special Meetings of the General Body convened by the President, no business other than the business included in the notice of the meeting shall be conducted.

6. The Executive Council

6.1 The composition of the Executive Council shall be:

(a)	The President of the General Body — Chairman	1
(b)	Secretary, Ministry of Women & Child Development, Vice-Chairman, (Ex-Officio)	1
(c)	The Vice-Chairman nominated by the Chairman	1

(घ) भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों से नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्तिः

(1)	योजना आयोग	1
(2)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1
(3)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1
(4)	ग्रामीण विकास विभाग	1
*(5)	वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1

(ङ)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	1
(च)	समाज कार्य विद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ स्कूल्स आफ सोशल वर्क) का एक प्रतिनिधि	1
(छ)	साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित पांच संस्था सदस्य	5
(ज)	सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य	3
(झ)	संकाय के दो सदस्य जो निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे	2
(ञ)	संस्थान का निदेशक - सदस्य सचिव	1
		21

6.2 कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष किसी विशिष्ट अधिवेशन या अधिवेशनों में किसी संगठन या मंत्रालय के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को उस दशा में सहयोजित कर सकता है जब वह कभी ऐसा करना वांछनीय समझता हो।

6.3 साधारण निकाय कार्यकारी परिषद् की सदस्यता बढ़ाने या घटाने के लिए सशक्त है।

* साधारण निकाय की 24.3.2009 को संपन्न 40वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित संशोधन।

(d) Five nominees from the following Departments/Ministries of the Government of India as under:

(i)	Planning Commission	1
(ii)	Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development	1
(iii)	Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare	1
(iv)	Department of Rural Development	1
* (v)	Financial Adviser, Ministry of Women and Child Development	1

(e)	One representative of the Central Social Welfare Board	1
(f)	One representative of the Association of Schools of Social Work	1
(g)	Five Institutional members elected by the General Body	5
(h)	Three members to be nominated by the President	3
(i)	Two members of the Faculty to be nominated by the Director	2
(j)	Director of the Institute – Member-Secretary	1
		21

6.2 A representative or representatives of any organisation or Ministry may be co-opted by the Chairman of the Executive Council for any particular meeting or meetings if and when he thinks it is desirable to do so.

6.3 The General Body is empowered to increase or decrease the membership of the Executive Council.

* Amendment approved in 40th Annual General Meeting of General Body held on 24.3.2009

7. पदावधि

7.1 खण्ड 6.1 (छ), (ज) और (झ) के अधीन निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट सदस्य, यथास्थिति, निर्वाचन, नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट दोनों प्रकार के सदस्य पुन: निर्वाचित और पुन: नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

8. कार्यकारी परिषद् के अधिवेशन

8.1 संस्थान की कार्यकारी परिषद् का अधिवेशन, जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार होगा किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगा।

8.2 कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष या कार्यकारी परिषद् का कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, कार्यकारी परिषद् का अधिवेशन बुला सकता है।

8.3 अध्यक्ष कार्यकारी परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थित में उपाध्यक्ष करेगा और इनकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा सदस्य, जो उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुआ हो, उस विशिष्ट अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

9. कार्यकारी परिषद् की शक्तियां और कृत्य

9.1 साधारण निकाय के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए कार्यकारी परिषद् उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों और उनके अधीन बनाई गई उपविधियों के अनुसरण में संस्थान के कार्यों का प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी और उसे ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों जिनके अन्तर्गत आगे बताई गई कार्य करने की शक्ति भी है:

7. Tenure of Office

7.1 Vice-Chairman nominated under Rule 6.1 (c) and Members elected/nominated under Rule 6.1 (g), (h) and (i) shall hold office for a period of two years from the date of election/nomination as the case may be or until their successors are re-elected or renominated, whichever is later. Both elected and nominated members shall be eligible for re-election and re-nomination.

8. Meetings of the Executive Council

8.1 The Executive Council of the Institute shall meet as often as necessary but at least twice in each year.

8.2 The meeting of the Executive Council may be convened by the Chairman of the Executive Council or any other member of the Executive Council who may be authorised by him in this behalf.

8.3 The meetings of the Executive Council shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Vice-Chairman and in the absence of all these a member elected by the members present shall function as Chairman for that particular meeting.

9. Powers and Functions of the Executive Council

9.1 Subject to general control and directions of the General Body, the Executive Council shall be responsible for the management and administration of the affairs of the Institute in accordance with the rules and bye-laws made thereunder for the furtherance of the objects and shall have all power which may be necessary or expedient for the purpose, including:

(क) संस्थान के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर नीति अधिकथित करना;

(ख) बजट के प्रावचलनों का पुनरीक्षण करना और उनकी मंजूरी देना;

(ग) वित्तीय उपविधियों में परिनिश्चित व्यय की मंजूरी देना;

(घ) संस्थान की निधि विनिहित करना;

(ङ) समीचीन निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेना;

(च) पदों पर सृजन करना और कर्मचारीवृन्द भर्ती तथा नियुक्त करना।

*9.2 कार्यकारी परिषद् द्वारा पदों का सृजन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

*9.3 संस्थान के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिश्चित शर्तों पर और निश्चित अवधि के लिए की जाएगी। निदेशक संस्थान के प्रबंध के प्रभारी होंगे और वे संस्थान के मामलों में उप-विधियों में परिभाषित शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।

9.4 कार्यकारी परिषद् संकल्प द्वारा एक समिति या एक से अधिक समितियां या उपसमितियां ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ गठित करेगी जो वह विनिर्दिष्ट करे।

9.5 संस्थान की कार्यकारी परिषद् अपनी ऐसी शक्तियां, जो वह कामकाज के संचालन के लिए ठीक समझे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या निदेशक को संकल्प द्वारा अलग-अलग या इनमें से किन्हीं दो को या तीनों को संयुक्त रूप से प्रत्यायोजित कर सकती है।

* साधारण निकाय की 15.3.2002 को संपन्न 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित संशोधन।

(a) to lay down broad policy to carry out the purposes of the Institute;

(b) to review and sanction budget estimates;

(c) to sanction expenditure as defined in financial bye-laws;

(d) to invest the funds of the Institute;

(e) to borrow on terms and conditions expedient; and

(f) to create posts and recruit and appoint staff.

*9.2 Creation of posts shall be made by Executive Council with prior approval of the Government of India.

*9.3 The Director of the Institute shall be appointed by the Executive Council on such terms and for such period as may be decided by the Executive Council with the prior approval of the Government of India. The Director shall be in charge of the management of the Institute and shall exercise such powers in respect of the affairs of the Institute as defined in the Bye-laws.

9.4 The Executive Council may by resolution appoint one or more committee or committees or sub-committees for such purposes and with such powers as may be specified by it.

9.5 The Executive Council of the Institute may, by resolution, delegate severally to the Chairman or the Vice-Chairman or the Director or jointly to any two or all three of them, such of its powers as it may deem fit for the conduct of business.

* Amendment approved in 33rd Annual General Meeting of the General Body held on 15.3.2002

9.6 कार्यकारी परिषद् संस्थान के ऐसे कामकाज का, जिसके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, समुचित संचालन करने के लिए उपविधियां उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से बना सकती है या परिवर्तित या निरसित कर सकती है।

10. संस्थान की निधि, लेखा और संपरीक्षा

10.1 संस्थान की निधि में निम्नलिखित धन होगा:

(क) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके माध्यम के दिए गए अनुदान;

(ख) अन्य स्रोतों के संदान और अंशदान; और

(ग) संस्थान की अन्य आय और प्राप्तियां।

10.2 संस्थान की निधि कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित बैंक में जमा की जाएगी। सभी प्राप्त निधि उस बैंक में रखे गए संस्थान के लेखे में संदत्त की जाएगी और उसमें से केवल ऐसे चैक से निकाली जाएगी जिस पर ऐसे दो व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हों जिन्हें कार्यकारी परिषद् ने पदाभिहित और इस निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है, अन्यथा नहीं।

10.3 संस्थान उचित लेखा, जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्रारूपों में रखेगा जो उपविधियों के अधीन विहित किए जाएं।

*10.4 संस्थान के लेखे कार्यकारी परिषद् द्वारा 3 वर्ष के लिए नियुक्त सनदी लेखापाल द्वारा वार्षिक रूप से परीक्षित किए जाएंगे।

* साधारण निकाय की 29.3.2001 को संपन्न 32वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित संशोधन।

9.6 The Executive Council may frame, alter or repeal bye-laws for the proper conduct of business of the Institute for which no specific provisions has been made in these rules by a majority of not less than three-fifths of the members present.

10. Funds of the Institute, Accounts and Audit

10.1 The funds of the Institute shall consist of the following:

(a) Grants made by or through the Central or any State Government;

(b) Donations and contributions from other sources; and

(c) Other income and receipts of the Institute.

10.2 The funds of the Institute shall be deposited in a bank to be named by the Executive Council. All funds received shall be paid into the Institute's account maintained in such a bank and shall not be withdrawn except on cheque signed by two persons designated by the Executive Council and authorised to function on their behalf.

10.3 The Institute shall maintain proper accounts including a balance sheet in such forms as may be prescribed under the bye-laws.

*10.4 The Accounts of the Institute shall be audited annually by a Chartered Accountant to be appointed by the Executive Council of the Institute for a term of 3 years.

* Amendment approved in 32th Annual General Meeting of General Body held on 29.3.2001

10.5 संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों पाठ) संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएं जाने के लिए लेखा-वर्ष की समाप्ति के नौ मास के अन्दर प्रशासनिक मंत्रालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।

11. गणपूर्ति (कोरम)

11.1 साधारण निकाय के वार्षिक साधारण अधिवेशन या विशेष अधिवेशन की गणपूर्ति साधारण निकाय के पन्द्रह सदस्यों से होगी।

11.2 कार्यकारी परिषद् के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्यकारी परिषद् के छह सदस्यों से होगी परन्तु तब जब कि उनमें से कम से कम तीन सदस्य गैर-सरकारी हों।

11.3 यदि साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति नहीं है तो वह अधिवेशन किसी ऐसी तारीख के लिए स्थगित हो जाएगा जो पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत की जाए। यदि किसी स्थगित अधिवेशन के लिए गणपूर्ति नहीं है तो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

11.4 यथास्थिति, साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य को लिखित सूचना व्यक्तिगत रूप से या सदस्यों की अद्यतन नामावली में वर्णित पते पर डाक-प्रमाण पत्र के अधीन डाक से भेजी जाएगी।

11.5 इस प्रकार डाक से भेजी गई प्रत्येक सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से तामील कर दी गई है और ऐसी तामील को साबित करने के लिए यह दिखाना ही पर्याप्त होगा कि जिस लिफाफे में सूचना रखकर भेजी गई थी उस पर पता लिखा गया था और उसे डाक-प्रमाणपत्र के अधीन डाक में डाला गया था।

11.6 किसी सदस्य को साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् के किसी अधिवेशन की सूचना प्राप्त न होने पर अधिवेशन की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

10.5 The Annual Report/The Audit Report (both English and Hindi versions) of the Institute shall be made available to the Administrative Ministry for being laid on the table of both houses of Parliament within nine months of the close of the accounting year.

11. Quorum

11.1 Fifteen members of the General Body shall constitute a quorum at an annual general meeting or a special meeting of the General Body.

11.2 Six members of the Executive Council provided at least three of them are non-official, shall form the quorum at any meeting of the Executive Council.

11.3 If at any meeting of the General Body or Executive Council there is no quorum, the meeting shall stand adjourned to a date to be fixed by the presiding officer. If at any adjourned meeting there is no quorum the members present shall constitute the quorum.

11.4 A written notice shall be sent to every member of the General Body or Executive Council as the case may be, either personally or through post under a posting certificate at the address mentioned in the latest roll of members.

11.5 Any notice so sent by post shall be deemed to have been duly served and in proving such service, it shall be sufficient to show that the cover containing such notice was properly addressed and put into the post office under a certificate of posting.

11.6 Non-receipt of the notice of any meeting of the General Body or Executive Council by any member shall not invalidate the proceedings of the meetings.

11.7 साधारण निकाय/कार्यकारी परिषद् के अधिवेशनों के लिए सूचना की न्यूनतम अवधि निम्नलिखित रूप में होगी:

(क)	साधारण निकाय के वार्षिक अधिवेशन के लिए	-	21 दिन
(ख)	साधारण निकाय के विशेष अधिवेशन के लिए	-	14 दिन
(ग)	कार्यकारी परिषद् के साधारण अधिवेशन के लिए	-	14 दिन
(घ)	कार्यकारी परिषद् के असाधारण अधिवेशन के लिए	-	7 दिन

11.8 साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् में किसी रिक्ति के होते हुए भी और किसी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामनिर्देशन या सहयोजन में किसी त्रुटि के होते हुए भी साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् कार्य करेगा और साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य या अकृत नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति या किसी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामनिर्देशन या सहयोजन में कोई त्रुटि विद्यमान थी।

11.9 साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय मानी जाएगी। यथास्थिति, साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का, जिसके अन्तर्गत सभापति भी है, एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो पीठासीन अधिकारी का, अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक या द्वितीय मत होगा।

11.10 भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की प्रदत्त शक्तियों के बाहर के वित्तीय मामलों पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष के बीच असहमति होने पर वह मामला प्रशासनिक मंत्रालय को सौंपा जाएगा।

11.7 The minimum period of notice for meeting of the General Body/ Executive Council shall be as follows:

(a)	for the Annual General meetings of the General Body	—	21 days,
(b)	for Special meeting of the General Body	—	14 days,
(c)	for Ordinary meeting of the Executive Council	—	14 days,
(d)	for Extraordinary meetings of the Executive Council	—	7 days,

11.8 The General Body or the Executive Council shall function notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment, nomination or co-option of any member and no act or proceeding of the General Body or the Executive Council shall be invalidated or nullified merely by reasons only of the existence of any vacancy therein or any defect in the appointment, nomination or co-option of any member.

11.9 In case of difference of opinion among the members of the General Body or of the Executive Council at any meeting, the opinion of the majority shall prevail. Each member of the General Body, or of the Executive Council, as the case may be, including the President shall have one vote and if there be equality of votes on any question, the Presiding Officer shall in addition have a casting or second vote.

11.10 In the event of disagreement between representatives of the Ministry of Finance and the Chairman of the Executive Council of the Institute on financial matters beyond the delegated powers of the Ministry/Department of the Government of India, the matter may be referred to the administrative Ministry.

12. फीस और चन्दा

12.1 सोसाइटी की संस्था सदस्यता के लिए वार्षिक चन्दा 250 रूपए* (केवल दो सौ पचास रूपए) होगा जो प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में अग्रिम रूप से दिया जाएगा। '

12.2 ऐसा कोई संस्था सदस्य, जिसका वार्षिक चन्दा किसी वर्ष में मार्च के 31वें दिन तक नहीं दे दिया जाता, वार्षिक साधारण अधिवेशन में मत मांगने या मत देने का पात्र नहीं होगा और उसकी सदस्यता के बारे में यह समझा जाएगा कि वह समाप्त हो गई है।

12.3 सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् सदस्यता में पुन: प्रवेश के लिए पूरे वार्षिक चन्दे के साथ वार्षिक चन्दे का पांचवां भाग भी प्रवेश-फीस के रूप में देना होगा।

13. सदस्यों की नामावली

13.1 संस्थान, संस्था सदस्यों की एक नामावली रखेगा जिसमें उनके प्रतिनिधियों के नाम, पते और व्यवसाय दिए होंगे। यदि संस्थान का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह सदस्य-सचिव को अपना नया पता अधिसूचित करेगा और तब सदस्य-सचिव सदस्यों की नामावली में उसका नया पता दर्ज करेगा। यदि सदस्य अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो सदस्यों की नामावली में उसका जो पता है वही उसका पता समझा जाएगा।

14. परिचालन द्वारा संकल्प पारित किया जाना

14.1 ऐसा कोई भी कार्य, जिसके बारे में अध्यक्ष का यह समाधान हो गया है कि वह मामला अत्यावश्यक है और निकट भविष्य में कार्यकारी परिषद् का अधिवेशन करना सम्भव नहीं है तो ऐसा अत्यावश्यक कार्य सोसाइटी के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है और ऐसा कोई संकल्प,

---

* साधारण निकाय की 31.3.1999 को संपन्न 30वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित संशोधन।

12. Fees and Subscriptions

12.1 The Annual Subscription for Institutional Membership of the Society, which shall be paid in advance within the first quarter of each year, shall be Rs. 250/- (Rupees two hundred and fifty only).*

12.2 No Institutional Member whose annual subscription remains unpaid after the 31st day of March in any year shall be eligible to seek or vote at the next Annual General Meeting and the membership shall be deemed to have lapsed.

12.3 Re-admission to Membership of the Society after lapse of Membership shall be on payment of an admission fee which shall be 1/5th of the Annual Subscription, in addition to the full annual subscription.

13. Roll of Members

13.1 The Institute shall keep a roll of Institutional Members giving the names of their representatives and their addresses and occupations. If a member of the Institute changes his address he shall notify his new address to the Member-Secretary, who shall thereupon enter his new address in the roll of members. If the member fails to notify his new address, the address in the roll of members shall be deemed to be his address.

14. Resolution by Circulation

14.1 Any business in respect of which the Chairman is satisfied that the matter is urgent and that it is not possible to hold a meeting of the Executive Council in the near future, such urgent business may be carried out by circulation amongst all its member and any resolution so circulated and approved by majority of members of

---

* Amendment approved in 30th Annual General Meeting of General Body held on 31.3.1999

जो इस प्रकार परिचालित और कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित है, उसी रूप में प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो वह संकल्प कार्यकारी परिषद् के अधिवेशन द्वारा पारित किया गया था।

15. सामान्य

15.1 संस्थान की ओर से निदेशक सभी संविदाओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से परामर्श करके वित्तीय उपविधियों में परिभाषित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा।

15.2 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (जो दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में लागू है) की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए संस्थान का निदेशक ही वह व्यक्ति होगा जिसके नाम में संस्थान वाद ला सकता है या संस्थान के विरूद्ध वाद लाया जा सकता है।

15.3 सम्बद्ध प्राधिकारी साधारण निकाय या कार्यकारी परिषद् में किसी रिक्ति को नियुक्ति करके भर सकता है और इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि तक ही होगी जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

16. आय और सम्पत्ति

16.1 किसी भी प्रकार से प्राप्त सोसाइटी की आय और सम्पत्ति का उपयोजन ज्ञापन में बताए गए उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा किन्तु ऐसा उन शर्तों के अधीन किया जाएगा जो, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार, व्यय या अपने द्वारा किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में समय-समय पर अधिरोपित करे। सोसाइटी की आय और सम्पत्ति के किसी भाग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदाय या अन्तरण लाभांश या बोनस या अन्यथा किसी भी में रूप या लाभ के रूप में ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी भी समय सोसायटी के सदस्य हैं या रहे हैं या उनमें से किसी को या उनकी या उनमें

the Executive Council shall be effective and binding as if such resolution had been passed by a meeting of the Executive Council

15. General

15.1 All contracts shall be executed on behalf of the Institute by the Director in consultation with the Chairman/Vice-Chairman as per rules defined in the financial bye-laws.

15.2 For the purposes of the Section 6 of the Societies Registration Act, 1860 (applicable to the Union Territory of Delhi), the person in whose name the Institute may sue or be sued shall be the Director of the Institute.

15.3 Any vacancy in the General Body or Executive Council may be filled by appointment by the authority concerned and the term of office of a member so appointed shall continue only for the remainder of the term of the member in whose place he has been appointed.

16. Income and Property

16.1 The income and property of the Society, however derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in the Memorandum subject nevertheless to the conditions the Government of India, or any State Government, as the case may be, may from time to time impose in respect of expenditure or grants made by them. No portion of the income and property of the Society shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividends, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit, to the persons who at any time are or have been members of the Society or to any of them or to any person claiming through them or any of them provided that nothing therein contained shall

से किसी के मार्फत दावा करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा परन्तु ज्ञापन की कोई भी बात सोसाइटी के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सेवा के बदले में, जो उसने सोसाइटी के लिए की हो या यात्रा भत्ता, विराम-भत्ता या इसी प्रकार के अन्य प्रभारों के लिए पारिश्रमिक के रूप में सद्भावपूर्वक संदाय करने से नहीं रोकती है। किन्तु यदि सोसाइटी का सदस्य संसद-सदस्य है तो उसे संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित प्रतिपूर्ति भत्ता ही दिया जाएगा जब तक कि उसकी संसद्-सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती।

17. संविधान का संशोधन

17.1 साधारण निकाय अपने साधारण या विशेष अधिवेशन में उपर्युक्त ज्ञापन या नियमों का संशोधन कर सकता है परन्तु तब जब कि साधारण निकाय के सदस्य-सचिव को प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों की सम्यक् सूचना दे दी गई हो जो साधारण निकाय के वार्षिक अधिवेशन से कम से कम चार सप्ताह पहले दी जानी चाहिए, परन्तु यह और कि साधारण निकाय के विशेष अधिवेशन द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसे संशोधन या संशोधनों की सम्यक् सूचना भी दे दी गई हो। ऐसे अधिवेशन में संशोधन तभी पारित होगा जब कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्य प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में मत देते हैं।

18. समापन

18.1 यदि सोसाइटी का समापन या विघटन हो जाने पर कोई सम्पति, चाहे वह कुछ भी हो, सभी ऋणों और दायित्वों को चुका देने के पश्चात् बच जाती है तो वह सोसाइटी के सदस्यों के बीच या उनमें से किसी को संदत्त या वितरित नहीं की जाएगी और उसके बारे में कार्रवाई दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में लागू 1860 के अधिनियम 21 की धारा 13 और धारा 14 में उपबन्धित रीति से की जाएगी।

prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person in return for any service rendered to the Society or for travelling allowance, halting allowance or other similar charges. If, however, a member of the Society is a member of Parliament, he shall be paid only the compensatory allowance as provided under the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 until he ceases to be a member of Parliament.

17. Amendment of the Constitution

17.1 Amendment to the above Memorandum and Rules may be effected by the General Body either at its Ordinary or Special General Body Meeting provided due notice of the proposed amendment or amendments is given to the Member-Secretary of the General Body and not less than four weeks prior to the meeting of the Annual General Body and provided due notice has been given of such amendment or amendments for consideration by a Special meeting of General Body. At such meeting the amendment shall be carried if not less than two-thirds of the members present and voting, vote in favour of the proposed amendment.

18. Winding Up

18.1 If on the winding up or dissolution of the Society there shall remain, after the satisfaction of all debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid to, or distributed among the members of the Society or any of them and shall be dealt within the manner provided by Section 13 and 14 of Act XXI of 1860 as applicable in the Union Territory of Delhi.

1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के सभी उपबंध, जिनका विस्तार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक है, इस सोसाइटी पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसाइटी के नियमों और विनियमों (3 जनवरी, 1975 तक यथासंशोधित) की शुद्ध प्रति है।

	नाम	हस्ताक्षर	पदनाम
1.	एस. नरूल हसन	ह0	केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री
2.	पी.एन. लूथरा	ह0	सचिव, केन्द्रीय समाज-कल्याण विभाग, भारत सरकार
3.	बी. चटर्जी	ह0	निदेशक, केन्द्रीय जनसहयोग अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान

ता० 25 जनवरी, 1975

All the provisions of Societies Registration Act XXI of 1860 (Punjab Amendment Act 1957) as extended to the Union Territory of Delhi will apply to this Society.

Certified to be correct copy of the Rules and Regulations of the Society (as amended upto 3rd day of January, 1975).

	Name	*Signature*	*Designation*
1.	S. Nurul Hasan	Sd/-	Union Minister for Education, Social Welfare and Culture
2.	P .N. Luthra	Sd/-	Secretary, Union Department of Social Welfare, Government of India
3.	B. Chatterjee	Sd/-	Director, Central Institute of Research and Training in Public Cooperation

Dated : 25th January, 1975